राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले विभाग
(विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ)

क्रमांक एफ 89/संस्था/LM-1/(56)/2017 जयपुर, दिनांक 29.03.2019

कार्यालय आदेश

EoDB के तहत BRAP 2019 की क्रियान्विति के अनुक्रम में विधिक माप विज्ञान अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निरीक्षण, निर्धारित चैक लिस्ट के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करें (except in cases of complaint based inspection)।

(रश्मि गुप्ता)
नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान, राजस्थान

क्रमांक एफ 89/संस्था/LM-1/(56)/2017 जयपुर, दिनांक 29.03.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विधिक माप विज्ञान अधिकारी, राजस्थान।
7. रक्षित पत्रावली।

नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान, राजस्थान

(A) निरीक्षण के प्रकार :–

क्र.सं.	संस्थान का विवरण
1.	बाट एवं माप विनिर्माताओं के निरीक्षण
2.	बाट एवं माप व्यवहारियो के निरीक्षण
3.	बाट एवं माप मरम्मतकर्ताओं के निरीक्षण
4.	आयातक/विनिर्माता/पैकर पंजीयन प्रमाण पत्र धारी संस्थानों का निरीक्षण
5.	पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण
6.	निजी धर्मकांटो, भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस, केन्द्रीय भण्डारण निगमों के धर्मकांटो का निरीक्षण
7.	अन्य सामान्य व्यापारिक संस्थान जो बाट एवं माप के उपयोगकर्ता है, का निरीक्षण

(B) निरीक्षण का स्तर :– अपने अपने क्षेत्राधिकार में पदस्थापित समस्त विधिक माप विज्ञान अधिकारी।

(C) निरीक्षण की अवधि :–

क्र.सं.	संस्थान का विवरण	निरीक्षण की अवधि
1.	बाट एवं माप विनिर्माताओ का निरीक्षण	एक वर्ष
2.	बाट एवं माप व्यवहारियो का निरीक्षण	एक वर्ष
3.	बाट एवं माप मरम्मतकर्ताओं के निरीक्षण	एक वर्ष
4.	आयातक/विनिर्माता/पैकर पंजीयन प्रमाण पत्र धारी संस्थानो का निरीक्षण	एक वर्ष
5.	पेट्रोल पम्पों का निरीक्षण	एक वर्ष
6.	निजी धर्मकांटो, भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान स्टेट वेयर हाउस, केन्द्रीय भण्डारण निगमों के धर्मकांटो का निरीक्षण	एक वर्ष
7.	अन्य सामान्य व्यापारिक संस्थान जो बाट एवं माप के उपयोगकर्ता है, का निरीक्षण	दो वर्ष

(D) चैक लिस्ट :–

(01) बाट एवं माप विनिर्माताओ के लिए :–

क्र.सं.	चैक लिस्ट
1.	बाट एवं माप विनिर्माता को जारी अनुज्ञप्ति नवीनीकृत है अथवा नहीं।
2.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 11 (7) के अनुसार बाट एवं माप विनिर्माता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रजिस्टर संधारित किया जाता है अथवा नहीं।
3.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 11 (9) के अनुसार संस्थान को जारी अनुज्ञप्ति सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित है अथवा नहीं।
4.	विनिर्मित किये जाने वाले तौलने एवं मापने के उपकरणों का सत्यापन एवं मुद्रांकन नियमानुसार करवाया जाता है अथवा नहीं।
5.	विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 22 के अनुसार बाट एवं माप विनिर्माताओं के लिए आवश्यक मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र है अथवा नहीं।
6.	संस्थान ब्लू प्रिन्ट के अनुसार है अथवा नहीं।

(02) बाट एवं माप व्यवहारियों के लिए :–

क्र.सं.	चैक लिस्ट
1.	बाट एवं माप व्यवहारी को जारी अनुज्ञप्ति नवीनीकृत है अथवा नहीं।
2.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 11 (7) के अनुसार बाट एवं माप व्यवहारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रजिस्टर संधारित किया जाता है अथवा नहीं।
3.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 11 (9) के अनुसार संस्थान को जारी अनुज्ञप्ति सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित है अथवा नहीं।
4.	विक्रय किये जाने वाले तौलने एवं मापने के उपकरणों का यदि आयात किया जाता है। तो आयातक की अनुज्ञप्ति है अथवा नहीं, यदि आयातक की अनुज्ञप्ति है तो वह नवीनीकृत है अथवा नहीं। तथा निर्धारित प्रक्रिया की अनुपालना की जाती है अथवा नहीं।
5.	आयातित बाट एवं माप का नियमानुसार सत्यापन एवं मुद्रांकन करवाया जाता है अथवा नहीं।
6.	विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 22 के अनुसार आयातित बाट एवं माप का मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र है अथवा नही।
7.	संस्थान ब्लू प्रिन्ट के अनुसार है अथवा नहीं।

(03) मरम्मकर्ताओं के लिए :–

क्र.सं.	चैक लिस्ट
1.	बाट एवं माप मरम्मकर्ता को जारी अनुज्ञप्ति नवीनीकृत है अथवा नहीं।
2.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 11 (7) के अनुसार बाट एवं माप मरम्मकर्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में रजिस्टर संधारित किया जाता है अथवा नहीं।
3.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 11 (9) के अनुसार संस्थान को जारी अनुज्ञप्ति सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित है अथवा नहीं।
4.	अनुज्ञापत्र में वर्णित उपकरणों की ही मरम्मत की जाती है अथवा नहीं।
5.	अनुज्ञापत्र धारी के पास लोनसेट कितने है। क्या लोनसेट की संख्या पर्याप्त है?
6.	अनुज्ञापत्रधारी के पास, मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण है अथवा नहीं।
7.	संस्थान में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है अथवा नहीं।
8.	संस्थान Blue Print के अनुसार है अथवा नहीं।

(04) पैकर पंजीयनधारी संस्थान के लिए :–

क्र.सं.	चैक लिस्ट
1.	यदि डिब्बाबन्द वस्तुये विक्रेता आयातक है तो आयातक का अनुज्ञापत्र है अथवा नहीं, तथा अनुज्ञापत्र नवीनीकृत है अथवा नहीं।
2.	यदि डिब्बाबन्द वस्तुये विक्रेता विनिर्माता है तो विनिर्माता का अनुज्ञापत्र है अथवा नहीं, तथा अनुज्ञापत्र नवीनीकृत है अथवा नहीं।
3.	यदि डिब्बाबन्द वस्तुये विक्रेता पैकर है तो पैकर का अनुज्ञापत्र है अथवा नहीं, तथा अनुज्ञापत्र नवीनीकृत है अथवा नहीं।
4.	आयातित पैकेज/विक्रय किये जाने वाले पैकजों पर विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुये) नियम 2011 के नियम 6 के अनुसार आवश्यक घोषणाये पैकेज पर अंकित अथवा नहीं।
5.	आयातक/विनिर्माता/पैकर पंजीयन प्रमाण पत्र सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित है अथवा नहीं।
6.	वस्तु की शुद्ध मात्रा की जांच।

(05) पेट्रॉल पम्पों के लिए :—

क्र.सं.	चैक लिस्ट
1.	संस्थान पर स्थित डिस्पेंसिंग यूनिटों का केलिब्रेशन हो रखा है अथवा नहीं।
2.	संस्थान पर 5 लीटर का माप सत्यापित एवं मुद्रांकित है अथवा नहीं।
3.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 22 के अनुसार संस्थान पर स्थित सभी डिस्पेंसिंग यूनिटों का सत्यापन प्रमाण पत्र सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित है अथवा नहीं।
4.	संस्थान पर 5 लीटर माप का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रदर्शित है अथवा नहीं।
5.	विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 22 सभी डिस्पेंसिंग यूनिटों का मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र है अथवा नहीं।
6.	डिस्पेंसिंग यूनिटों की सभी केलिब्रेशन सीले सही व सही अवस्था में है अथवा नहीं।
7.	संस्थान पर स्थित सभी मशीनों की डीलेवरी की जांच करने पर डीलेवरी सही है अथवा नहीं।
8.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 21 (5) के अनुसार संस्थान पर स्थित सभी डिस्पेंसिंग यूनिटो की डिलेवरी की नियमित 5 लीटर के माप से है टेस्टिंग की जाती है अथवा नहीं।

(06) धर्मकांटो के लिए :—

क्र.सं.	चैक लिस्ट
1.	धर्मकांटा सत्यापित एवं मुद्रांकित है अथवा नहीं।
2.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 22 के अनुसार संस्थान पर सत्यापन प्रमाण पत्र सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित है अथवा नहीं।
3.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 21 (4) के अनुसार संस्थान पर एक टन के सत्यापित एवं मुद्रांकित बाट है अथवा नहीं।
4.	उक्त बाटों का सत्यापन एवं मुद्रांकन करवाया गया है अथवा नहीं।
5.	धर्मकांटे के द्वारा सही तुलाई की जा रही है अथवा नहीं।
6.	धर्मकांटे का मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र है अथवा नहीं।

(07) अन्य सामान्य व्यापारी जो बाट एवं माप का उपयोगकर्ता है के लिए :—

क्र.सं.	चैक लिस्ट
1.	उपयोग में लिये जा रहे बाट व माप उपकरणो का सत्यापन एवं मुद्रांकन करवाया हुआ है अथवा नहीं।
2.	राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम 2011 के नियम 22 के अनुसार संस्थान पर सत्यापन प्रमाण पत्र सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित है अथवा नहीं।
3.	यदि व्यापारी NAWI का उपयोगकर्ता है तो 1/10 क्षमता तक के सत्यापित एवं बाट है अथवा नहीं।
4.	यदि विक्रेता द्वारा डिब्बाबन्द वस्तुये विक्रय की जाती है तो विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 6 के अनुसार पैकेज पर निर्धारित घोषणाये अंकित है अथवा नहीं।
5.	यदि विक्रेता द्वारा डिब्बाबन्द वस्तुये विक्रय की जाती है तो संस्थान पर विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुएं) नियम 2011 के नियम 18(7) के अनुसार 1 गैरस्वचालित तौलन उपकरण, श्रेणी— III रखेगा जिसकी परिशुद्धता 1 ग्राम की होनी चाहिए। संस्थान पर गैरस्वचालित तौलन उपकरण, श्रेणी— III उपलब्ध है अथवा नहीं।

(E) निरीक्षण की प्रक्रिया :–

(01) बाट एवं माप विनिर्माताओं के लिए :– चैक लिस्ट के अनुसार अनुज्ञापत्र एवं आवश्यक दस्तावेजो की जांच करना।

(02) बाट एवं माप व्यवहारियों के लिए :– चैक लिस्ट के अनुसार अनुज्ञापत्र एवं आवश्यक दस्तावेजो की जांच करना।

(03) मरम्मकर्ताओं के लिए :– चैक लिस्ट के अनुसार अनुज्ञापत्र एवं आवश्यक दस्तावेजो की जांच करना।

(04) पैकर पंजीयनधारी संस्थान के लिए :–

1. चैक लिस्ट के अनुसार पैकर पंजीयन प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजो की जांच करना।
2. डिब्बा बंद वस्तुओं के लेबल पर विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुए) नियम 2011 के नियम 6 के अनुसार पैकेज पर निर्धारित घोषणाओं की जांच करना।
3. वस्तु की शुद्व मात्रा की जांच करना।

(05) पेट्रॉल पम्पों के लिए :–

1. चैक लिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेजो की जांच करना।
2. संस्थान पर स्थित सभी डिस्पेन्सिंग यूनिटों की मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र के अनुसार केलिब्रेशन सीले जैसे :– मीटर असेम्बली, पल्सर असेम्बली, टोटलाईजर असेम्बली, डिप स्विच, मदर बोर्ड आदि की जांच करना।
3. संस्थान पर स्थित सभी डिस्पेन्सिंग यूनिटों की डीलेवरी की जांच करना।

(06) धर्मकांटो के लिए :–

1. चैक लिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेजो की जांच करना।
2. संस्थान पर स्थित 01 टन के सत्यापित एवं मुद्राकिंत बाटो की जांच करना।
3. विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम 2011 के प्रावधानो के अनुसार धर्म काटें की जांच करना।

(07) अन्य सामान्य व्यापारी जो बाट एवं माप का उपयोगकर्ता है के लिए :–

1. चैक लिस्ट के अनुसार आवश्यक दस्तावेजो की जांच करना।
2. विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियम 2011 के प्रावधानो के अनुसार धर्म काटें की जांच करना।
3. यदि विक्रेता द्वारा डिब्बा बंद वस्तुओ का विक्रय किया जाता है तो लेबल पर विधिक माप विज्ञान (डिब्बा बंद वस्तुए) नियम 2011 के नियम 6 के अनुसार पैकेज पर निर्धारित घोषणाओं की जॉच करना।